

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक— / पटना, दिनांक—
03/नि0 प्रशि (विविध)—10/2025

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.),
बिहार, पटना।

विषय :- सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों के योग्यता एवं कौशल वृद्धि हेतु निर्धारित अनिवार्य प्रवेशकालीन/सांस्थिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्रदान किये जाने वाले अन्य सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना मद से प्रशिक्षण शुल्क के रूप में कुल ₹0 2,21,93,628/- (दो करोड़ इक्कीस लाख तिरानवें हजार छः सौ अठाईस रुपये) (GST 18 % सहित) मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

महाशय,

सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों के योग्यता एवं कौशल वृद्धि हेतु निर्धारित अनिवार्य प्रवेशकालीन/सांस्थिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्रदान किये जाने वाले निम्न अन्य सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना मद से प्रशिक्षण शुल्क के रूप में कुल अनुमानित ₹0 2,21,93,628/- (दो करोड़ इक्कीस लाख तिरानवें हजार छः सौ अठाईस रुपये) (GST 18 % सहित) मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

संस्थान का नाम	बैंचों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	सेवा संवर्ग/ पदनाम	प्रशिक्षण अवधि	अनुमानित व्यय (GST 18 % सहित)
(A) TSU, Anand, Gujrat	01	25	बिहार सहकारिता	06 दिन	35,99,000 / -
(B) LINAC, Gurugram	01	30	प्रशासनिक सेवा संवर्ग/	01 सप्ताह	9,92,817 / -
(C) LNMI, Patna	01	30	बिहार सहकारिता अंकेक्षण	01 सप्ताह	9,91,200 / -
(D) BIPARD, Gayaji	01	12	सेवा संवर्ग	04 सप्ताह	16,30,272 / -
(E) LINAC, Gurugram	07	210	मुख्य/वरीय/सहकारिता	01 सप्ताह	69,49,719 / -
(F) VAMNICOM, Pune	07	210	प्रसार पदाधिकारी	01 सप्ताह	74,34,000 / -
(G) DNSRICM, Patna	04	202		03 दिन	5,96,620 / -
कुल-					2,21,93,628 / -

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के अन्तर्गत मांग संख्या-09, मुख्य शीर्ष-2425 सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-003 प्रशिक्षण, उप शीर्ष-0102 विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान विस्तृत शीर्ष-20, अन्य प्रशासनिक व्यय विषय शीर्ष-03 प्रशिक्षण व्यय विपत्र कोड-09-2425000030102 राज्य योजना से विकलनीय होगी।

3. उक्त स्वीकृत राशि का वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रशिक्षण के उपरांत संस्थान से प्राप्त विपत्र के आधार पर निकासी एवं भुगतान किया जायेगा।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे जो उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत संबंधित प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त विपत्र के विरुद्ध स्वीकृत राशि का विपत्र BTC FORM-25 में तैयार कर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना में प्रस्तुत करेंगे और राशि की निकासी कर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के खाते में स्थानांतरित करेंगे। इसके लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-7245 दिनांक-26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

6. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

7. स्रोत पर अनुमान्य कटौती सुनिश्चित की जायेगी।

8. सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-25.06.2026 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति एवं विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-08.07.2026 को सम्पन्न स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक में उक्त योजना प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनुशंसा प्राप्त है।

9. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-03/नि0 प्रशि (विविध)-10/2025 के पृष्ठ 57/टि० पर दिनांक-13.07.2026 को प्राप्त है।

10. इस राशि की स्वीकृति सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या-03/नि0 प्रशि (विविध)-10/2025 के पृष्ठ 58/टि० पर दिनांक-14.07.2026 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(मो. अब्दुल रब खॉ)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक.....229...../पटना, दिनांक 17/07/26
03/नि0 प्रशि (विविध)-10/2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा बिहार, पटना)/महानिदेशक, लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी, गुडगाँव/निदेशक, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, आनंद, गुजरात/निदेशक, ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना/निबंधक, वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पुणे/निदेशक, दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, शास्त्री नगर, पटना एवं निदेशक, बिपार्ड, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सचिव, सहकारिता विभाग बिहार, पटना के निजी सहायक/निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अवर सचिव प्रभारी प्रशाखा-03 सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक कार्यालय निबंधक स०स०, बिहार, पटना/आईटी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि स्वीकृत्यादेश के आलोक में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि आंवटित की जाय।